

राजस्थान सरकार  
प्रारंभिक शिक्षा विभाग

क्रमांक : प. 2(5)/शि-1/प्राशि/2003/पार्ट-1

जयपुर दिनांक: 15 MAR 2018

1. आयुक्त एवं शासन सचिव, पंचायती राज विभाग।
2. आयुक्त, राजस्थान प्रारम्भिक शिक्षा परिषद्, जयपुर।
3. निदेशक, प्रारंभिक शिक्षा, राज0 बीकानेर।
4. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद्, समस्त।

विषय : राजस्थान तृतीय श्रेणी प्राथमिक और उच्च प्राथमिक विद्यालय अध्यापक सीधी भर्ती, 2016 के माध्यम से शिक्षक लेवल - II (NON TSP AREA) नव चयनित अभ्यर्थियों के नियुक्ति/पदस्थापन हेतु काउंसलिंग कैंप (परामर्श शिविर) के संबंध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत इस विभाग के समसंख्यक पत्र दिनांक 02.02.2018, 20.02.2018 एवं 06.03.2018 के क्रम में निवेदन है कि माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा एसबी सिविल रिट याचिका संख्या 2902/2018 मंजू कुमारी व अन्य बनाम राज्य व अन्य तथा अन्य विभिन्न याचिकाओं में पारित आदेश दिनांक 15.03.2018 के अनुसरण में राजस्थान तृतीय श्रेणी प्राथमिक और उच्च प्राथमिक विद्यालय अध्यापक सीधी भर्ती, 2016 में शिक्षक लेवल-II गैर अनुसूचित क्षेत्र (NON TSP AREA) अंग्रेजी विषय के चयनित अभ्यर्थियों (माननीय राज0 उच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 15.03.2018 के अनुसार अनुमत) की नियुक्ति/पदस्थापन हेतु दिनांक 20 व 21 मार्च, 2018 को काउंसलिंग आयोजित कर दिनांक 26 मार्च, 2018 तक पदस्थापन/नियुक्ति की कार्यवाही पूर्ण किया जाना सुनिश्चित करावें।

माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय, जयपुर द्वारा दिनांक 15.03.2018 को पारित आदेश की अक्षरशः पालना सुनिश्चित की जावें।

[www.rajteachers.com](http://www.rajteachers.com)

भवदीय,  
15/3/18  
(घनश्याम लाल शर्मा)  
शासन उप सचिव

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :

1. निजी सचिव, प्रमुख सचिव, माननीय मुख्यमंत्री महोदय।
2. विशिष्ट सहायक, माननीय मंत्री, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग।
3. विशिष्ट सहायक, माननीय शिक्षा राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)
4. निजी सचिव, शासन सचिव, स्कूल शिक्षा एवं भाषा विभाग।
5. निजी सचिव, विशिष्ट शासन सचिव, स्कूल शिक्षा विभाग।
6. निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर।
7. संबंधित जिला कलेक्टर।
8. उपनिदेशक, माध्यमिक/प्रारंभिक शिक्षा- संबंधित।
9. जिला शिक्षा अधिकारी, माध्यमिक/प्रारम्भिक शिक्षा- संबंधित।
10. विकास अधिकारी, सम्बन्धित पंचायत समिति।
11. रक्षित पत्रावली।

15/3/18  
(जगदीश नारायण जाट)  
अनुभागाधिकारी